न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

करपुरी महतो

वनाम

लाल बिहारी साहु

वाद संख्या–08 / 2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

18.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा साहो थाना नं0–110 अचंल बिरौल जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		6 कट्ठा 13 धुर	उ0–नीज मरौसी हिस्सा
773	3988		द0–हरिशंकर साहु
473	3987		पु0–सुखदेव महतो
			प0–लाल बिहारी साहु

प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक को मरौसी हिस्सा एवं स्व0 सरवन महतो अपने जीवन काल में दिनांक 30.06.1975 ई0 को विकेता भूटु महतो पिता सुवे महतो वो हरिलाल महतो पिता सुवे से निबंधित दस्तावेज से हासिल किये और दखल कब्जा में आये जो भूमि वर्तमान में आवेदकगण के शांतिपुर्ण दखल कब्जा में वो उपभोग में चला आ रहा है। प्रश्नगत भूमि के पुरब वो पश्चिमी चौहददी आर में विपक्षीगणो का भूमि है विपक्षीगण हर हमेशा आवेदक के आवेदक के भूमि का आर मेर तोड़कर आवेदक के भूमि हरपने एवं कब्जा करने को लेकर विवाद करते है। आवेदक दोनो भाई दिल्ली में जीविकोपार्जन हेतु मजदुरी करते है तथा समय समय पर घर आते है उन दोनो के गॉव

से अनुपस्थित रहने का विपक्षीगण नाजायज फायदा उठाना चाहते है तथा वाद भूमि को अपने जनबल वो धनबल के बदौलत हड़पना चाहते है।

दुसरी तरफ प्रतिवादी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि अस्पष्ट है, क्योकि प्रश्नगत खेसरा का अलग अलग रकवा दर्ज नही है जबकि दाखिल किये गये केवाला के अवलोकन से स्पष्ट है कि खेसरा 3988 का रकवा 1 कट्ठा 3 धुर वो 1987 का रकवा 1 कट्ठा 19 धुर अंकित है जबकि प्रश्नगत भूमि का रकवा 6 कट्ठा 13 धुर दर्शाया गया है प्रश्नगत भूमि 3988 का खाता नं0 गलत दिया गया है सही खाता 473 है अतः प्रश्नगत भूमि अस्पष्ट है। प्रश्नगत भूमि मरौसी हिस्सा एवं केवाला से प्राप्त होना बताया गया है एवं वादी ने सभी अपने फरीकैन अर्थात खतियानी रैयत के सभी वारिसानो को पक्षकार नही बनया गया है। वाद का दावा अस्पष्ट है, क्योकि वादी को मरौसी से कितना हिस्सा, वो उनके पिता को किस प्रकार से केवाला से प्राप्त है स्पष्ट नही किया गया है। जहाँ तक वाद की भूमि का प्रश्न है वाद की भूमि के भूस्वामी श्री हरीलाल महतो पे0 भूटु महतो पे0 भूलन महतो वो श्री बच्चा महतो पे0 भोला महतो थे जिसके उचित जरसीमन देकर प्रतिवादी नं0 2 वो 3 के पिता ने बजरिये निबंधित केवाला दिनांक 24.03.86 वो 21.02.95 रकवा कमशः 3/1/2 (साढ़े तीन कटटा) वो 2/1/2((ढ़ाई कटटा) कट्ठा कुल 10/1/2 (साढ़े कटटा दस) कट्ठा प्राप्त है एवं केवाला के बाद से प्रतिवादी संख्या 2 वो 3 के शांतिपुर्ण दखल कब्जा वो उपयोग में चला आ रहा है। प्रतिवादी नं0 2 वो 3 में बिहार सरकार के अंचल आमला से दाखिल खारिज कराकर राजस्व की अदायगी कर अद्यतन राजस्व रसीद प्राप्त करते आ रहे है। प्रश्नगत भूमि के खेसरा 3987 वो 3988 के रकवा 10/1/2(साढ़े कटटा दस) कट्ठा पर शांतिपुर्ण दखल कब्जा वो पुर्ण हक प्र0 नं0 2 वो 3 को प्राप्त है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर केवाला एवं मरौसी भूमि हाने के आधार पर दावा किया गया है एवं साक्ष्य स्वरूप केवाला, बिक्रेता के नाम खतियान एवं लगान रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी प्रश्नगत भूमि के केवाला की छायाप्रति संलग्न की गयी है इसी प्रकार दो अन्य प्रतिवादी द्वारा भी प्रश्नगत भूमि से संबंधित केवालाओं की प्रति संलग्न की गयी है। वादी एवं प्रतिवादी दोनो पक्षो के द्वारा लगान रसीद की प्रति भी संलग्न की गयी है। लिखित बहस में वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा पुराना खेसरा से अपने अपने दावा के भूमि का नया खेसरा बनने का उल्लेख किया गया है परंतु इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष द्वारा नया खेसरा का कोई जिक नही किया गया है पुराने खेसरा 3987 एवं 3988 से वादी एवं प्रतिवादीगण को कई

केवाला किये गये है एवं सभी के द्वारा अपने अपने हक वो हिस्से पर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार इस वाद में पक्षकार के बीच जटिल स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है इस प्रकार बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के सक्षम उपचारो की याचना के लिए स्वतंत्र होगें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल